रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082021-229318 CG-DL-E-31082021-229318

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 493] No. 493] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2021/भाद्र 9, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2021/BHADRA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसुचना

नई दिल्ली. 31 अगस्त. 2021

सं. 49/2021-सीमाशल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 607(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतिश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "ग्लास फाइबर और इसके आर्टिकल्स" (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) कि प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7019 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 सितम्बर, 2016, जिसे सा.का.नि. 846 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त सीमाशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतिश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार अपने प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/34/2020-डीजीटीआर, दिनांक 25 सितम्बर, 2020, जिसे दिनांक 25 सितम्बर, 2020 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समीक्षा का कार्य शुरू किया है;

4845 GI/2021 (1)

और, जहां कि उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 7/34/2020-डीजीटीआर, दिनांक 24 अगस्त, 2021, जिसे दिनांक 24 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग।, खंड। में प्रकाशित किया गया है, के तहत अपने अंतिम निष्कषों को जारी कर दिया है;

और जहां कि, केन्द्र सरकार, उक्त समीक्षा पर बिना कोई निर्णय लिए यह जरूरी समझती है कि उक्त विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित उक्त विषयगत वस्तु पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखना आवश्यक है;

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पिठत उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 जिसे सा.का.नि. 846 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 11, उप खंड 11, प्रकाशित किया गया था. इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है. यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क 31 अक्तूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।"

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/108/2021-टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

ज. स. कंधारी, उप सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 48/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 को सा.का.िन. 846 (अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2021

No. 49/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 607(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/34/2020-DGTR, dated the 25th September, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 25th September, 2020 has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Glass Fibre and Articles thereof" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under heading 7019 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in, or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 48/2016-Customs (ADD), dated the 1st September, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 846(E), dated the 1st September, 2016;

And, whereas the designated authority has issued its final findings *vide* notification No. 07/34/2020-DGTR dated the 24th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 24th August, 2021;

And whereas, the Central Government, having not come to a conclusion in the said review, considers it necessary to further extend the anti-dumping duty on the subject goods originating in or exported from the subjected country;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), 48/2016-Customs (ADD), dated the 1st September, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 846(E), dated the 1st September, 2016, namely: -

In the said notification, after paragraph 2, and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 31st October, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier."

[F. No. CBIC-190354/108/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

J. S. KANDHARI, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 48/2016-Customs (ADD), dated the 1st September, 2016, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 846(E), dated the 1st September, 2016.